

कार्यालय:-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुंगेली (छ.ग.)

-: कार्य विभाजन आदेश :-

क्रमांक क / एक-15-01 / 2017

मुंगेली दिनांक 02 जनवरी 2026

मैं श्रीमती गिरिजा देवी मेरावी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुंगेली पूर्व में जारी किये गये कार्य विभाजन आदेश को अधिक्रमित करते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 214 (दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 10(2)(3) और 194) एवं छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय अधिनियम 1958 की धारा 15 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सिविल जिला मुंगेली एवं सत्र खण्ड मुंगेली में पदस्थ न्यायाधीशों के मध्य निम्नानुसार कार्य-विभाजन आदेश पारित करती हूँ, जो तत्काल प्रभावशील रहेगा तथा लंबित सिविल एवं दण्डिक मामलों पर उसका प्रभाव नहीं होगा:-

अनु.	न्यायालय का नाम	भौगोलिक क्षेत्राधिकार	प्रकरणों का प्रकार जिसका निराकरण किया जाना है
1	2	3	4
1	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुंगेली एवं मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण मुंगेली। 2. विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटी) मुंगेली 3. विशेष न्यायाधीश (NDPS) मुंगेली 4. विशेष न्यायाधीश (Unlawful Acts against safety of civil aviation (amendment) Act, 1994) मुंगेली 5. विशेष न्यायाधीश (खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957) मुंगेली 6. विशेष न्यायाधीश (Drug and Cosmetics Act, 1940) मुंगेली 7. विशेष न्यायाधीश (Banning of Unregulated Deposit Schemes Act, 2019)	सम्पूर्ण सत्र खण्ड एवं सिविल जिला मुंगेली	1. सत्र प्रकरण। 2. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 से संबंधित प्रकरण (विधि एवं विधायी विभाग मंत्रालय महानदी रायपुर अधिसूचना क0-5907/1931/XXI-B/C.G./2017 रायपुर दिनांक 27.06.2017) (माननीय उच्च न्यायालय के रिटपिटिशन(क्रि.)क्र. -540/2020 रामस्वरूप राजवाड़े वि० स्टेट आफ सी. जी. के आदेश दिनांक 10.12.2020 के अनुसार अनु. जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधि० 1989 के ऐसे सभी प्रकरण/जमानत आवेदन पत्र जिनमें आरोपी पर पाक्सो एक्ट का भी आरोप है, को छोड़कर) 3. राजस्व जिला मुंगेली से उद्भूत एनडीपीएस (NDPS) से संबंधित समस्त प्रकरण (छत्तीसगढ़ शासन विधि और विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर द्वारा जारी अधिसूचना एफ. क्रमांक 1546/1054/XXI-B/C.G./ 2025, दिनांकित 04.04.2025) 4. केन्द्र सरकार स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) के तहत धारा 52क के साथ पठित धारा 76, द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किये गये संशोधन के तहत नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (नमूनाकरण और निपटान) नियम 2022 के अंतर्गत अल्प मात्रा में जब्त मादक पदार्थों के नमूनाकरण एवं निपटान हेतु थानों से प्राप्त आवेदन पत्रों का निराकरण मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, मुंगेली द्वारा अपराधिक प्रकरणों में थाना क्षेत्र के आधार पर धारा 183 B.N.S.S. (164 Cr.P.C.) के अंतर्गत प्रदत्त

मुंगेली		अधिकारिता के अनुरूप न्यायालयों के न्यायिक मजिस्ट्रेटों द्वारा किया जावेगा तथा अल्प मात्रा से अधिक के मादक पदार्थों के नमूनाकरण एवं निपटान के आवेदन पत्रों का निराकरण संबंधित थाना क्षेत्र के अधिकारिता रखने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जावेगा। 5. Chhattisgarh Protection of Depositors Interest Act 2005) के अंतर्गत सभी प्रकरण एवं उनसे उद्भूत मामले (छत्तीसगढ़ शासन विधि और विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन नया रायपुर द्वारा जारी अधिसूचना क्र. 9742/3446/XXI-B/2015 दिनांकित 09.10.2015) 6. राजस्व जिला मुंगेली से उद्भूत खाद्य सुरक्षा अपीलीय अधिकरण से संबंधित समस्त प्रकरण (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय महानदी रायपुर की अधिसूचना क्रमांक-एफ-25-8/2011/ नौ /55 नया रायपुर दिनांक 09.10.2017) 7. आपराधिक अपील एवं आपराधिक पुनरीक्षण। 8. मुख्यालय में प्रस्तुत होने वाले भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 482 एवं 483 (दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 एवं 439) से संबंधित जमानत आवेदन पत्र। 9. जुवेनाइल जस्टिस बालको के सुरक्षा एवं संरक्षण बाल न्यायालय 2005 से उद्भूत आवेदन अंतर्गत धारा 52 के अंतर्गत प्रस्तुत अपील। 10. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 380 (दं0प्र0सं0 की धारा 341) के अंतर्गत प्रस्तुत अपीलें। 11. दिनांक 24.10.1998 के पूर्व संस्थापित आवश्यक वस्तु अधिनियम से संबंधित प्रकरण 12-ड्रग एवं कास्मेटिक अधिनियम 1940 (नंबर 23 1940) से संबंधित उपापिप्त प्रकरण संपूर्ण जिले से उत्पन्न। 12. राजस्व जिला मुंगेली से उद्भूत खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 (Mines and Minrals (Development and Regulation) Act, 1957) के अंतर्गत समस्त प्रकरण। (माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर का पृष्ठांकन क्रमांक 18480/III-6-4/2023 /Checker बिलासपुर दिनांक 14 नवम्बर 2024 विधि विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, अटल नगर, नवा रायपुर द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 4072/2861/C.G./2024, दिनांक 13.11.2024) 13. राजस्व जिला मुंगेली से उद्भूत नागरिक उड्डयन सुरक्षा के विरुद्ध गैरकानूनी कृत्यों के दमन (संशोधन) अधिनियम, 1994 (Unlawful Acts against safety of civil aviation (amendment) Act, 1994) के अंतर्गत समस्त प्रकरण। (माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर का पृष्ठांकन क्रमांक 92/III-6-3/2024/Checker बिलासपुर दिनांक 03 जनवरी 2025, विधि विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, अटल नगर,
---------	--	--

			नवा रायपुर द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 01/4556/XXI-B/C.G./ 2024, दिनांक 01.01.2025) 14. राजस्व जिला मुंगेली से उद्भूत औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 (Drug and Cosmetics Act, 1940) के अंतर्गत समस्त प्रकरण। (माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर का पृष्ठांकन क्रमांक 632/II-15-4/2010 बिलासपुर दिनांक 27 जनवरी 2016 विधि विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, अटल नगर, नवा रायपुर द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 460/134/XXI-B/C.G./2016, दिनांक 12.01.2016) 15. राजस्व जिला मुंगेली से उद्भूत अनियमित जमा योजना पाबंदी अधिनियम 2019 (Banning of Unregulated Deposit Schemes Act, 2019) के अंतर्गत समस्त प्रकरण। (माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर का पृष्ठांकन क्रमांक 22752/Checker/III-6-3/2025 बिलासपुर दिनांक 01 दिसम्बर 2025, विधि विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, अटल नगर, नवा रायपुर द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 3835/3150/XXI-B/2025, दिनांक 28.11.2025) 16. स्थानीय एवं विशेष अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत सिविल एवं विविध अपीलें एवं निर्वाचन याचिकाएं। 17. रू. 40,00,001/- से अधिक मूल्य के साम्प्रतिक वाद एवं उनसे उद्भूत निष्पादन एवं अन्य आवेदन। 18. सम्पूर्ण राजस्व मुंगेली से उद्भूत मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम 1996 के अंतर्गत आने वाले समस्त आर्बिट्रेशन प्रकरण 19. मुंगेली जिले के अंतर्गत थाना-सिटी कोतवाली मुंगेली, थाना-जरहागांव, थाना-पथरिया एवं थाना-सरगांव से उत्पन्न होने वाले मोटर दुर्घटना दावा आवेदन धारा 163(ए) 166 एवं 140 मो.वि.एक्ट 1988 (संशोधित अधिनियम 1994) के अंतर्गत पेश दावा आवेदन। 20. मुंगेली जिले के अंतर्गत थाना-सिटी कोतवाली मुंगेली, थाना-जरहागांव, थाना-पथरिया एवं थाना-सरगांव से "मोटर दुर्घटना के परिणामस्वरूप उत्पन्न प्रकरण तथा उक्त थानों के द्वारा मोटर यान संशोधन नियम 2022 के अंतर्गत विवेचना अधिकारी द्वारा FAR, IAR एवं DAR मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, मुंगेली में प्रस्तुत किये जायेंगे।" 21. छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1961 की धारा 20 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले चुनाव याचिकाएं। 22. नगर पालिक अधिनियम 1961 की धारा 28 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले सिविल प्रकरण। (तहसील मुंगेली, पथरिया, लोरमी से उत्पन्न प्रकरण)
--	--	--	---

			23. सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 24 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र। 24. मुंगेली जिला से उत्पन्न मानवाधिकारों के उल्लंघन से उद्भूत होने वाले प्रकरण। 25. सिविल जिला मुंगेली व्यवहार न्यायालयों वरिष्ठ श्रेणी एवं कनिष्ठ श्रेणी के द्वारा समस्त सिविल वाद में घोषित निर्णय, आज्ञाप्ति एवं आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत अपीलें एवं विविध अपीलें। 26. भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 18 के अंतर्गत कलेक्टर द्वारा किये गये रिफरेंस। 27. लोक परिसर (बेदखली) अधिनियम, 1971 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण। 28. धारा 9 CPC के अंतर्गत विचारणीय ऐसे वाद, याचिका तथा आवेदन पत्र जो इस आदेश में किसी अन्य न्यायालय को आबंटित नहीं हैं। 29. Specific Relief Act 1963(47of 1963) and Specific Reliel Amendment Act 2018 की धारा 20 बी के अधीन प्रधान जिला न्यायाधीश के सुनवाई योग्य प्रकरण (विधि एवं विधायी कार्यविभाग नया रायपुर की अधिसूचना क्र०-7782/2124/XXI-B/C.G./2019 दिनांक 02.08.2019) 30. माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर प्रेषित एवं अंतरित प्रकरण। 31. अन्य अधिनियम के अंतर्गत प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा विचारणीय विवाद जो इस आदेश में अन्य न्यायालय को आबंटित नहीं किये गये हैं। 32. मुंगेली जिला से उत्पन्न होने वाले अन्य प्रकरण जो उपरोक्त में उल्लेखित नहीं हैं। (कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम की धारा-7 के अंतर्गत आने वाले प्रकरणों को छोड़कर)
2.	1. प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मुंगेली, एवं प्रथम अति. मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, मुंगेली 2. विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) मुंगेली 3. विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधिनियम) मुंगेली	सिविल जिला मुंगेली एवं सत्र खण्ड मुंगेली	1. सत्र न्यायाधीश मुंगेली द्वारा समय-समय पर अंतरित सत्र प्रकरण। 2. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 3. विद्युत अधिनियम (माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय के आदेश क्रमांक 4143/III-6-4/2003/Checker बिलासपुर दिनांक 27 मार्च 2021) एवं पृष्ठांकन क्रमांक 4526/III-6-4/2005/Checker बिलासपुर दिनांक 13 अप्रैल 2021) 4. The Protection of Child Right Act, 2005 and u/s 28 of POCSO Act, 2012 (माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर का ज्ञापन क्रमांक 4146/III-6-4/ 2003/Checker बिलासपुर दिनांक 27 मार्च 2021)'' 5. किशोर न्यायबोर्ड, मुंगेली के आदेश से उद्भूत समस्त दाण्डिक अपीलें अंतर्गत धारा 101 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख व संरक्षण) अधिनियम 2015

			6. रुपये 10,00,001/- से रुपये 40,00,000/- तक मूल्य के सिविल वाद एवं उनसे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध सिविल प्रकरण। 7. मुंगेली जिले के अंतर्गत थाना-लोरमी, थाना-लालपुर, थाना-फास्टरपुर एवं थाना-चिल्फी से उत्पन्न होने वाले मोटर दुर्घटना दावा आवेदन धारा 163(ए) 166 एवं 140 मो.वि.एक्ट 1988 (संशोधित अधिनियम 1994) के अंतर्गत पेश दावा आवेदन। 8. घातक दुर्घटना अधिनियम के तहत समस्त प्रकरण। 9. मुंगेली जिले के अंतर्गत थाना-लोरमी, थाना-लालपुर, थाना-फास्टरपुर एवं थाना-चिल्फी से "मोटर दुर्घटना के परिणामस्वरूप उत्पन्न प्रकरण तथा उक्त थानों के द्वारा मोटर यान संशोधन नियम 2022 के अंतर्गत विवेचना अधिकारी द्वारा FAR, IAR एवं DAR मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, मुंगेली में प्रस्तुत किये जायेंगे।" 10. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण मुंगेली द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण। 11. व्यवहार वाद एवं अपराधिक प्रकरण जो समय-समय पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा अंतरित किया जावे। 12. इस जिला स्थापना के अंतर्गत रिक्त जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के न्यायालय द्वारा घोषित निर्णय, आज्ञाप्ति एवं आदेशों से उत्पन्न प्रकरणों तथा निष्पादन प्रकरण एवं विविध प्रकरणों का निराकरण एवं उक्त न्यायालय से उद्भूत, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश/निर्णय का क्रियान्वयन एवं अन्य अनुसांगिक कार्यवाहियां। 13. माननीय सत्र न्यायाधीश मुंगेली के द्वारा समय-समय पर अंतरित आपराधिक अपील एवं आपराधिक पुनरीक्षण प्रकरण।
3.	जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, मुंगेली		रिक्त न्यायालय
4.	जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मुंगेली, फास्ट ट्रैक कोर्ट, मुंगेली	सत्र खण्ड मुंगेली	1. सत्र न्यायाधीश मुंगेली द्वारा समय-समय पर अंतरित सत्र प्रकरण 2. लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के समस्त प्रकरण व जमानत आवेदन पत्र। (माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 3754/III-6-5/2012 बिलासपुर दिनांक 14.05.2013 एवं विधि एवं विधायी कार्य विभाग मंत्रालय महानदी भवन रायपुर की <i>अधिसूचना क्रमांक 7671/2445/XXI-B/15</i>, रायपुर दिनांक /08/2015) 3. महिलाओं के विरुद्ध अपराध से संबंधित सत्र प्रकरण (<i>एट्रोसिटी एक्ट से संबंधित प्रकरणों को छोड़कर</i>)। 4. माननीय उच्च न्यायालय के रिट पिटिशन(क्रि.)क्र. -540/2020 रामस्वरूप राजवाड़े वि० स्टेट आफ

			सी.जी. के आदेश दिनांक 10.12.2020 के अनुसार संबंधित प्रकरण एवं जमानत आवेदन पत्र। 5. व्यवहार वाद एवं अपराधिक प्रकरण जो समय-समय पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा अंतरित किया जावे। 6. माननीय सत्र न्यायाधीश मुंगेली के द्वारा समय-समय पर अंतरित आपराधिक अपील एवं आपराधिक पुनरीक्षण प्रकरण।
5.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुंगेली	तहसील मुंगेली, पथरिया एवं जरहागांव	1. नगरपालिका परिषद मुंगेली से उत्पन्न होने वाले अपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना। 2. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय विशेष अधिनियम के प्रकरणों का निराकरण एवं स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 में अल्प मात्रा के प्रकरणों का निराकरण। 3. तहसील मुंगेली, पथरिया एवं जरहागांव से उद्भूत रुपये 5,00,001/- से 10,00,000/- तक मूल्य के सिविल वाद एवं उससे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध प्रकरण। 4. तहसील मुंगेली, पथरिया एवं जरहागांव से उद्भूत रुपये 201/- से रुपये 500/- तक के मूल्य के लघुवाद तथा उनसे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध प्रकरण। 5. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 192, तथा भाग दो, 10 की अन्य धाराओं के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण। 6. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 372 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण। 7. न्याय पंचायतों के आदेशों के विरुद्ध पुनरीक्षण। 8. प्रांतीय दिवालिया अधिनियम 1920 के अधीन समस्त प्रकरण। 9. छ.ग. पंचायत अधिनियम 1981 के अंतर्गत व्यवहार निगरानियां। 10. छ.ग. नगरपालिका अधिनियम 1961 के अंतर्गत धारा 139(1) एवं 172(1) के अधीन अपील। 11. Specific Relief Act 1963(47of 1963) and Specific Reliel Amendment Act 2018 की धारा 20 बी के अधीन व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 की सुनवाई योग्य प्रकरण (विधि एवं विधायी कार्य विभाग नया रायपुर की अधिसूचना क्र०-7782/2124/XXI-B/C.G./2019 दिनांक 02.08.2019) 12. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण। 13. अपीलीय न्यायालय का आदेश, आवेदन मामलो की पुर्नस्थापन संबंधित विविध न्यायिक प्रकरण इत्यादि के कार्यवाहियों का क्रियान्वयन।

			14. आर्थिक अपराधों से संबंधित प्रकरण, जो माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा अधिसूचना से प्राप्त। 15. व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी एवं कनिष्ठ श्रेणी मुंगेली के रिक्त न्यायालय से संबंधित व्यवहार एवं आपराधिक प्रकरणों से संबंधित कार्यवाही।
6.	द्वितीय व्य.न्या. वरिष्ठ श्रेणी, मुंगेली एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मुंगेली	तहसील लोरमी एवं लालपुर थाना	1. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुंगेली द्वारा कार्य विभाजन आदेशानुसार सौंपे गये एवं समय-समय पर अंतरित किये गये आपराधिक प्रकरण। 2. तहसील लोरमी एवं लालपुर थाना से उद्भूत रुपये 5,00,001/- से रुपये 10,00,000/- तक मूल्य के सिविल वाद एवं उससे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध प्रकरण। 3. तहसील लोरमी एवं लालपुर थाना से उद्भूत रुपये 201/- से रुपये 500/- तक के मूल्य के लघुवाद तथा उनसे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध प्रकरण। 4. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण। 5. अन्य कार्य जो प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा सौंपे जावे। 6. रिक्त न्यायालय प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, मुंगेली के अतिरिक्त न्यायाधीश लोरमी के सुनवाई योग्य निराकृत प्रकरणों से उद्भूत निष्पादन एवं विविध व्यवहार प्रकरण।
7.	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, लोरमी एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, लोरमी		रिक्त न्यायालय
8.	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, मुंगेली एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मुंगेली		रिक्त न्यायालय
9.	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, लोरमी	तहसील लोरमी एवं लालपुर थाना	1. समस्त आपराधिक प्रकरण जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुंगेली द्वारा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुंगेली की अनुज्ञा से सौंपे जाने वाले प्रकरण। 2. सभी आपराधिक प्रकरण जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुंगेली द्वारा कार्य विभाजन अनुसार वितरित किया जावे। 3. तहसील लोरमी, तहसील लालपुर थाना से उद्भूत होने वाले रुपये शून्य से 5,00,000 तक मूल्य के सिविल वाद एवं उससे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध प्रकरण। 4. तहसील लोरमी, तहसील लालपुर थाना से उद्भूत होने वाले रु. शून्य से रु. 200/- तक के मूल्य के लघुवाद तथा उनसे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध

			प्रकरण। 5. अन्य कार्य जो प्रधान जिला न्यायाधीश, मुंगेली द्वारा सौंपा जावें। 6. अपीलिय न्यायालय का आदेश, आवेदन मामलो की पुर्नस्थापना संबंधित विविध न्यायिक प्रकरण इत्यादि के कार्यवाहियों का क्रियान्वयन। 7. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।
10.	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, मुंगेली		रिक्त न्यायालय
11.	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, मुंगेली के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मुंगेली	तहसील मुंगेली, पथरिया एवं जरहागांव	1. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुंगेली द्वारा कार्य विभाजन आदेशानुसार सौंपे गये एवं समय-समय पर अंतरित किये गये आपराधिक प्रकरण। 2. रुपये शून्य से रुपये 5,00,000/- तक मूल्य के सिविल वाद एवं उससे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध प्रकरण। (व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी लोरमी के आर्थिक क्षेत्राधिकार अंतर्गत विचारणीय प्रकरणों को छोड़कर) 3. रु. शून्य से रु. 200/- तक के मूल्य के लघुवाद तथा उनसे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध प्रकरण। 4. अन्य जिलो से प्राप्त रुपये शून्य से रुपये 5,00,000/- तक के मूल्य निर्वतन हेतु प्रकरण। 5. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण एवं सौंपे गये अन्य कार्य।

सही/-
(श्रीमती गिरिजा देवी मेरावी)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जिला-मुंगेली (छ.ग.)

अवकाश अथवा अनुपस्थिति की दशा में अधिकृत न्यायाधीश/लिंक न्यायिक अधिकारी

क्र.	न्यायाधीश का पदनाम	अवकाश अथवा अनुपस्थिति की दशा में अधिकृत न्यायाधीश/लिंक न्यायिक अधिकारी
1	2	3
1	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुंगेली	प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, मुंगेली
2	प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, मुंगेली	जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (FTC) मुंगेली (पी. सी.एक्ट को छोड़कर)
3	जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (FTC) मुंगेली	प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, मुंगेली
4	1. प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मुंगेली 2. जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (FTC) मुंगेली	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुंगेली
5	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, मुंगेली	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, मुंगेली

6	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, मुंगेली	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, मुंगेली
7	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, मुंगेली के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, मुंगेली
8	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, लोरमी	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, मुंगेली के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश

नोट-

1. स्तम्भ क्रमांक 2 में अंकित न्यायाधीश के अवकाश पर रहने अथवा उक्त न्यायालय रिक्त रहने की दशा में आवश्यक कार्य का संपादन स्तम्भ क्रमांक 03 में उल्लेखित न्यायाधीश के द्वारा किया जावेगा।
2. यदि किन्ही कारणों से स्तम्भ क्रमांक 3 में अंकित न्यायाधीशगण उपलब्ध न हों तो जिला मुख्यालय/तहसील में जो भी वरिष्ठ जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश/व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी/व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी उक्त श्रेणी के न्यायाधीश के रूप में उपलब्ध हों वे संबंधित न्यायालय अर्थात् स्तम्भ क्रमांक 2 में अंकित न्यायालय का आवश्यक कार्य संपादित करेंगे। क्षेत्राधिकारिता के बारे में जहां भी संशय हो तो आदेश के लिए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुंगेली के समक्ष प्रस्तुत किये जावेंगे।
3. The concerned link Judicial Officer will take up not only urgent cases of that court, but also take up the cases in which witness have come to record that evidence, if possible and if not possible they will be bound over and given next date of not later than 03 days from the date of joining of the Presiding Officer considering the judicial diary of that court and bound the witnesses except the official witnesses and in case of the Link Judicial Officer is on leave, in his absence, nominate the Judicial Officers for the same which are mentioned below the same procedure shall be applicable in the criminal cases too. **(As per Registry memo no. 14754/D&A/2023, Bilaspur Date 08/11/2023)**
संबंधित लिंक न्यायिक अधिकारी न केवल उस अदालत के अत्यावश्यक मामलों की सुनवाई करेगा, बल्कि यदि संभव हो तो उन मामलों की भी सुनवाई करेगा जिनमें गवाह अपनी गवाही दर्ज कराने आए हैं, और यदि संभव नहीं हो तो उन्हें बाध्य किया जाएगा और अगली तारीख दी जायेगी। पीठासीन अधिकारी के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 3 दिन के अंदर उस अदालत की न्यायिक डायरी पर विचार करते हुए सरकारी गवाहों को छोड़कर अन्य गवाहों को बाध्य किया जाए और लिंक न्यायिक अधिकारी के छुट्टी पर होने की स्थिति में, उसकी अनुपस्थिति में, न्यायिक अधिकारियों को नामित किया जाए वही जो उल्लेखित है, यही प्रक्रिया आपराधिक मामलों में भी लागू होगी। **(रजिस्ट्री ज्ञापन क्रमांक 14754/डी एंड ए/2023, बिलासपुर दिनांक 08.11.2023 के अनुसार)**
4. लंबी छुट्टियों (गर्मी या सर्दी की छुट्टियों) के दौरान पांच साल से अधिक समय से लंबित सिविल, आपराधिक एवं निष्पादन मामलों जैसे कार्य योजना मामलों और मोटर दुर्घटना दावा मामलों जैसे कार्य योजना मामलों की सुनवाई संबंधित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा की जायेगी।
5. जब संबंधित न्यायालय का पीठासीन अधिकारी लंबी छुट्टी पर हो, तो उसके न्यायालय में लंबित कार्ययोजना से संबंधित सभी मामले, जैसे कि पांच साल से अधिक समय से लंबित

दीवानी, आपराधिक और निष्पादन के मामले एवं मोटर दुर्घटना आदि के मामलों में कार्य विभाजन अनुसार सुनवाई अन्य संबंधित पीठासीन अधिकारी/नामित लिंक न्यायिक अधिकारी द्वारा की जाएगी। (रजिस्ट्री ज्ञापन क्रमांक 15520/डी एंड ए/2023, बिलासपुर दिनांक 29.11.2023 के अनुसार)

6. राजस्व जिला मुंगेली से उद्भूत सभी प्रकार के वाणिज्यिक विवाद जो **दस लाख रुपये तक** के मूल्य के हो, जिनमें मध्यस्थम विवाद प्रकरण सम्मिलित नहीं है, के सुनवाई का क्षेत्राधिकार **तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी बिलासपुर/वाणिज्यिक न्यायालय बिलासपुर** को तथा सभी वाणिज्यिक मामले जिनका मूल्य **दस लाख से पचास लाख रुपये तक हो, (सभी प्रकार के माध्यस्थम विवाद सहित)** तथा सभी माध्यस्थम मामले जिनका मूल्य **दस लाख तक है, जो माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम 1996 से संबंधित है,** की सुनवाई का क्षेत्राधिकार **द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश/वाणिज्यिक (जिला न्यायाधीश स्तर)** को है, तथा जिला न्यायाधीश से नीचे के श्रेणी (**व्यवहार न्यायाधीश श्रेणी**) के वाणिज्यिक न्यायालय द्वारा पारित आदेश/निर्णय के विरुद्ध समस्त **वाणिज्यिक अपील** की सुनवाई का क्षेत्राधिकार **प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/वाणिज्यिक अपीलीय न्यायालय बिलासपुर (जिला न्यायाधीश स्तर)** को प्राप्त है। (उक्त प्रकार के किसी भी प्रकरण की सुनवाई जिला न्यायालय मुंगेली में नहीं की जायेगी)
7. सिविल जिला मुंगेली से उद्भूत MP/MLA से संबंधित अपराधिक प्रकरणों का विचारण प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जावेगा। (माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर का परिपत्र क्र. 9687/II-6-2/2023(MP/MLA)/(Checker) बिलासपुर दिनांक 02.08.2023)
8. सिविल जिला मुंगेली से उद्भूत Money Laundry Act, 2002 (धन शोधन अधिनियम 2002) से संबंधित अपराधिक प्रकरणों का विचारण **षष्ठम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रायपुर** द्वारा किया जावेगा। (माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर का पृष्ठांकन क्रमांक 9590/Checker/III-6-4-2005 (Money Laundering Act) बिलासपुर दिनांक 24.05.2025)
9. सिविल जिला मुंगेली से उद्भूत परिवहन विभाग के यातायात चालान (Traffic Challan) से संबंधित प्रकरणों का विचारण वर्चुअल न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में **मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बिलासपुर** द्वारा किया जावेगा। (माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर का आदेश क्रमांक 10997/III-6-3/2023 (Virtual Courts) बिलासपुर दिनांक 23 जून 2025 एवं आदेश क्रमांक 11054/III-6-3/2023 (Virtual Courts) बिलासपुर दिनांक 24 जून 2025)
10. सिविल जिला मुंगेली से उद्भूत बेनामी संपत्ति लेनदेन प्रतिषेध अधिनियम, 1988 (संशोधन अधिनियम, 2016) (Benami Property Transactions Act, 1988 (Amendment Act, 2016) से संबंधित प्रकरणों का विचारण **XII अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रायपुर** द्वारा किया जावेगा। (माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर का पृष्ठांकन क्रमांक 13654/Checker/II-15-12/2017 (Benami Transactions) बिलासपुर दिनांक 21.07.2025)
11. सिविल अवकाश (Civil Vacation) की अवधि में प्रस्तुत होने वाले अत्यावश्यक आवेदन, संबंधित न्यायालय द्वारा सुनवाई में लिया जावेगा। संबंधित न्यायालय के न्यायाधीश के अवकाश में रहने की स्थिति में जिला मुख्यालय/तहसील में जो भी वरिष्ठ जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश/व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी/व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी उक्त श्रेणी के न्यायाधीश के रूप में उपलब्ध हों, के द्वारा सुनवाई किया जावेगा।
12. यदि सिविल जिला मुंगेली में सत्र न्यायाधीश एवं कोई भी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश उपलब्ध नहीं होंगे तो अति आवश्यक औपचारिक कार्य मुख्यालय में उपस्थित वरिष्ठ न्यायाधीश/मजिस्ट्रेट द्वारा किया जावेगा।

सही/—
(श्रीमती गिरिजा देवी मेरावी)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जिला—मुंगेली (छ.ग.)

